

(For exclusive use in IA&AD and not
to be quoted or published elsewhere)

Circular No. 39 - Staff (App 1)/2017

No. 1220- Staff (App 1)/01-2012

Dated 05.09.2017

To

1. All Heads of Department in the IA&AD
2. Director General (Examination)
3. Principal Director (Commercial)
4. Principal Director (Rajbhasha)
5. Director (P)

Subject: Recruitment Rules to the post of Stenographer Grade-I in Indian Audit and Accounts Department.

Sir/Madam,

I am to enclose a copy of Recruitment Rules to the post of Stenographer Grade-I in Indian Audit and Accounts Department, notified in Gazette of India, Part II Section 3 Sub-Section (i) vide GSR No. 250 dated 04.08.2017 for appropriate action.

2. These rules have been notified in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Stenographer Grade-II) Recruitment Rules 2003 and (Stenographer Grade-I) Recruitment Rules 2004.

3. The receipt of this circular may be acknowledged

Yours faithfully,



(V. S. Venkatanathan)

Assistant Comptroller and Auditor General (N)

- (ii) in item (iii), for the words and figures "Pay Band-3 (Rs.15600-39100) with grade pay of Rs.5400" the words and figures "Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500/-)" shall be substituted;
- (iii) Note 4 shall be omitted;
- (iv) against serial number 4 relating to the post of Judge Attorney (Assistant Commandant), for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely :-
"Level-10 (Rs.56100-177500/-)";

[F. No. 22/1/SSB/CSC/Bn./JAG/2016/SFS]

R. B. S NEGI, Dy. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 104 (E) dated 23rd February, 2012 and subsequently amended vide notification number G.S.R 452 (E) dated 4th June, 2015.

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 250.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2003 तथा भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग (आशुलिपिक श्रेणी-1) भर्ती नियम, 2004 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करके, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिक श्रेणी-1 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, (आशुलिपिक श्रेणी-1) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए भारत के लेखा और लेखापरीक्षा विभाग में नियोजित व्यक्तियों पर लागू होने वाले आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी- 1	*467 (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर-6 (35400-112400/-)	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पण: 1 (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: 2 आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास। (ii) कौशल परीक्षण मानक श्रुतलेख: 100 शब्द प्रति मिनट की दर पर 10 मिनट; और (iii) अनुलिपि: कंप्यूटर पर 40 मिनट (अंग्रेजी) 55 मिनट(हिन्दी)	नहीं।	दो वर्ष।	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, द्वारा; 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स (25500-81100/-) में स्तर-4 में के ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-2 जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पण: 1 जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्धसरकारी या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी-

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सद्दश पद धारण किया हुआ है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100/-) में स्तर-4 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण: 1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण: 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर ब्राह्म पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>क. समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए):—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिदेशक या प्रधान महालेखाकार या महालेखाकार अथवा प्रधान निदेशक की पंक्ति का काडर नियंत्रक अधिकारी - अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार अथवा प्रशासन का भारसाधक उपनिदेशक - सदस्य 3. ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार अथवा उपनिदेशक - सदस्य <p>ख. समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिदेशक या प्रधान महालेखाकार या महालेखाकार अथवा प्रधान निदेशक की पंक्ति का काडर नियंत्रक अधिकारी - अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार अथवा प्रशासन का भारसाधक उप-निदेशक - सदस्य 3. ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार अथवा उपनिदेशक - सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

[फा. सं. ए-12018/02/2014-ई.जी.]

निर्मला देव, उप सचिव (ई. जी.)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 4th August, 2017

G.S.R. 250.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution and in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2003 and Indian Audit and Accounts Department (Stenographer Grade I) Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules to regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade I in the field offices of Indian Audit and Accounts Department namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Stenographer Grade I) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-servicemen and any other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government of India from time to time in this regard as applicable to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department.

SCHEDULE

Name of Post (1)	Number of Posts (2)	Classification (3)	Level in the pay matrix (4)
Stenographer Grade I.	* 467 (2017) * subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 (Rs.35400-112400/-)

Whether Selection Post or Non-Selection Post. (5)	Age-limit for direct recruits. (6)	Educational and other qualifications required for direct recruits. (7)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. (8)
Selection	Not exceeding 30 years. Note 1: (Relaxable for Government servants up to five	Essential: (i) 12 th Class pass from a recognised Board or	No.

